

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 202.....-2..... में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र से बकरा विकास योजना हेतु

-: आवेदन पत्र :-

सरकारी अनुदान की प्रतिशत 75% 90%

(योजना लागत रु० 24,800/-, 75% अनुदान रु० 18,600/-, 90% अनुदान रु० 22,320/-)

(90% अनुदान अनु० जाति/अनु० जन जाति/असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, के लिए)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-...../...../..... उम्र(पूर्ण वर्षों में)
4. शैक्षणिक योग्यता :-.....
5. पेशा :-.....
6. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जाति/अनु० जन जाति) :-.....
(अनु० जाति/अनु० जन जाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आधार संख्या (संलग्न करें) :-.....
8. APL/BPL संख्या (संलग्न करें) :-..... मोबाइल नं० :-.....
9. स्थाई पता (आवासीय प्रमाण पत्र /Voter ID/Aadhar संलग्न करना आवश्यक) :-.....

- ग्राम :-..... पंचायत :-.....पो० :-..... प्रखण्ड :-.....जिला :- पूर्वी सिंहभूम
10. पशुपालन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/अनुभव की विवरणी (यदि हो तो स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-.....
 11. वर्तमान में पशुपालन कार्य कर रहे हैं या नहीं (यदि हाँ, तो निम्न विवरण भरे) :-.....
पशुपालन का प्रकार :-..... वर्तमान में उपलब्ध पशु पक्षी की संख्या :-.....
(बकरी पालन/सूकर पालन/कुक्कुट पालन/बत्ख पालन)
 12. यदि किसी स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल/कृषक समूह से सम्बन्ध है, तो उसका विवरण :-.....
 13. असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो) है अथवा नहीं :-.....
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
 14. बैंक खाता का विवरण (अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में) :-
(क) बैंक का नाम :-..... (ख) शाखा :-.....
(ग) खाता संख्या :-..... (IFSC Code) :-.....

-: घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं, अगर जांचोपरान्त गलत पाया गया तो आवेदन स्वतः रद्द कर दी जाय में आवेदित योजना से भली भाँती अवगत हूँ एवं इसके लिये निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूँगा/करूँगी मुझे पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार से पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग से पशुधन सम्बन्धी कोई भी योजना प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं।

ग्राम सभा की अनुशंसा

ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रखण्ड स्तरीय समिति का हस्ताक्षर

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 202.....-2..... में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र से सूकर विकास योजना हेतु

-: आवेदन पत्र :-

सरकारी अनुदान की प्रतिशत 75% 90%

(योजना लागत रु० 57,800 / -, 75% अनुदान रु० 43,350 / -, 90% अनुदान रु० 52,020 / -)

(90% अनुदान अनु० जाति/अनु० जन जाति/असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, के लिए)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-...../...../..... उम्र(पूर्ण वर्षों में)
4. शैक्षणिक योग्यता :-.....
5. पेशा :-.....
6. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जाति/अनु० जन जाति) :-.....
(अनु० जाति/अनु० जन जाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आधार संख्या (संलग्न करें) :-.....
8. APL/BPL संख्या (संलग्न करें) :-..... मोबाइल नं० :-.....
9. स्थाई पता (आवासीय प्रमाण पत्र /Voter ID/Aadhar संलग्न करना आवश्यक) :-.....

- ग्राम :-..... पंचायत :-.....पो० :-..... प्रखण्ड :-.....जिला :- पूर्वी सिंहभूम
10. पशुपालन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/अनुभव की विवरणी (यदि हो तो स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-.....
 11. वर्तमान में पशुपालन कार्य कर रहे हैं या नहीं (यदि हाँ, तो निम्न विवरण भरे) :-.....
पशुपालन का प्रकार :-..... वर्तमान में उपलब्ध पशु पक्षी की संख्या :-.....
(बकरी पालन/सूकर पालन/कुक्कुट पालन/बत्तख पालन)
 12. यदि किसी स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल/कृषक समूह से सम्बन्ध है, तो उसका विवरण :-.....
 13. असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो) है अथवा नहीं :-.....
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
 14. शेड निर्माण हेतु भूमि का विवरण :- खाता संख्या प्लॉट संख्या रकबा
 15. अनुदान राशि प्राप्ति हेतु बैंक खाता का विवरण (अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में) :-
(क) बैंक का नाम :-..... (ख) शाखा :-.....
(ग) खाता संख्या :-..... (IFSC Code) :-.....

-: घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं, अगर जांचोपरान्त गलत पाया गया तो आवेदन स्वतः रद्द कर दी जाय में आवेदित योजना से भली भाँती अवगत हूँ एवं इसके लिये निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूँगा/करूँगी मुझे पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार से पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग से पशुधन सम्बन्धी कोई भी योजना प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं।

ग्राम सभा की अनुशंसा एवं शेड निर्माण हेतु अनुशंसा

ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रखण्ड स्तरीय समिति का हस्ताक्षर

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 202.....-2..... में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र से बैकयार्ड कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) हेतु

-: आवेदन पत्र :-

सरकारी अनुदान की प्रतिशत 75% 90%

(योजना लागत रु० 1,18,200/-, 75% अनुदान रु० 88,650/-, 90% अनुदान रु० 1,06,380/-)

(90% अनुदान अनु० जाति/अनु० जन जाति/असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, के लिए)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-...../...../..... उम्र(पूर्ण वर्षों में)
4. शैक्षणिक योग्यता :-.....
5. पेशा :-.....
6. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जाति/अनु० जन जाति) :-.....
(अनु० जाति/अनु० जन जाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आधार संख्या (संलग्न करें) :-.....
8. APL/BPL संख्या (संलग्न करें) :-..... मोबाइल नं० :-.....
9. स्थाई पता (आवासीय प्रमाण पत्र /Voter ID/Aadhar संलग्न करना आवश्यक) :-.....

ग्राम :-..... पंचायत :-.....पो० :-..... प्रखण्ड :-.....जिला :- पूर्वी सिंहभूम

10. पशुपालन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/अनुभव की विवरणी (यदि हो तो स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-.....
11. वर्तमान में पशुपालन कार्य कर रहे है या नहीं (यदि हाँ, तो निम्न विवरण भरे) :-.....
पशुपालन का प्रकार :-..... वर्तमान में उपलब्ध पशु पक्षी की संख्या :-.....
(बकरी पालन/सूकर पालन/कुक्कुट पालन/बत्तख पालन)
12. यदि किसी स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल/कृषक समूह से सम्बन्ध है, तो उसका विवरण :-.....
13. असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो) है अथवा नहीं :-.....
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
14. शेड निर्माण हेतु भूमि का विवरण :- खाता संख्या प्लॉट संख्या रकबा
15. अनुदान राशि प्राप्ति हेतु बैंक खाता का विवरण (अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में) :-
(क) बैंक का नाम :-..... (ख) शाखा :-.....
(ग) खाता संख्या :-..... (IFSC Code) :-.....

-: घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं, अगर जांचोपरान्त गलत पाया गया तो आवेदन स्वतः रद्द कर दी जाय में आवेदित योजना से भली भाँती अवगत हूँ एवं इसके लिये निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूँगा/करूँगी मुझे पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार से पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग से पशुधन सम्बन्धी कोई भी योजना प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं।

ग्राम सभा की अनुशंसा एवं शेड निर्माण हेतु अनुशंसा

ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रखण्ड स्तरीय समिति का हस्ताक्षर

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

वित्तीय वर्ष 202.....-2..... में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र से ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना हेतु
-: आवेदन पत्र :-

सरकारी अनुदान की प्रतिशत 75% 90%

(योजना लागत रु० 67,500/-, 75% अनुदान रु० 50,625/-, 90% अनुदान रु० 60,750/-)

(90% अनुदान अनु० जाति/अनु० जन जाति/असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, के लिए)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-...../...../..... उम्र(पूर्ण वर्षों में)
4. शैक्षणिक योग्यता :-.....
5. पेशा :-.....
6. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जाति/अनु० जन जाति) :-.....
(अनु० जाति/अनु० जन जाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आधार संख्या (संलग्न करें) :-.....
8. APL/BPL संख्या (संलग्न करें) :-..... मोबाइल नं० :-.....
9. स्थाई पता (आवासीय प्रमाण पत्र /Voter ID/Aadhar संलग्न करना आवश्यक) :-.....

- ग्राम :-..... पंचायत :-.....पो० :-..... प्रखण्ड :-.....जिला :- पूर्वी सिंहभूम
10. पशुपालन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/अनुभव की विवरणी (यदि हो तो स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-.....
 11. वर्तमान में पशुपालन कार्य कर रहे हैं या नहीं (यदि हाँ, तो निम्न विवरण भरे) :-.....
पशुपालन का प्रकार :-..... वर्तमान में उपलब्ध पशु पक्षी की संख्या :-.....
(बकरी पालन/सूकर पालन/कुक्कुट पालन/बत्ख पालन)
 12. यदि किसी स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल/कृषक समूह से सम्बन्ध है, तो उसका विवरण :-.....
 13. असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो) है अथवा नहीं :-.....
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
 14. शेड निर्माण हेतु भूमि का विवरण :- खाता संख्या प्लॉट संख्या रकबा
 15. अनुदान राशि प्राप्ति हेतु बैंक खाता का विवरण (अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में) :-
(क) बैंक का नाम :-..... (ख) शाखा :-.....
(ग) खाता संख्या :-..... (IFSC Code) :-.....

-: घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं, अगर जांचोपरान्त गलत पाया गया तो आवेदन स्वतः रद्द कर दी जाय में आवेदित योजना से भली भाँती अवगत हूँ एवं इसके लिये निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूँगा/करूँगी मुझे पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार से पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग से पशुधन सम्बन्धी कोई भी योजना प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं।

ग्राम सभा की अनुशंसा एवं शेड निर्माण हेतु अनुशंसा

ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रखण्ड स्तरीय समिति का हस्ताक्षर

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

वितीय वर्ष 202.....-2..... में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र से बत्तख चूजा वितरण योजना हेतु
-: आवेदन पत्र :-

सरकारी अनुदान की प्रतिशत 75% 90%

(योजना लागत रु० 1,700/-, 75% अनुदान रु० 1,275/-, 90% अनुदान रु० 1,530/-)

(90% अनुदान अनु० जाति/अनु० जन जाति/असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, के लिए)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. जन्म तिथि :-...../...../..... उम्र(पूर्ण वर्षों में)
4. शैक्षणिक योग्यता :-.....
5. पेशा :-.....
6. कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जाति/अनु० जन जाति) :-.....
(अनु० जाति/अनु० जन जाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आधार संख्या (संलग्न करें) :-.....
8. APL/BPL संख्या (संलग्न करें) :-..... मोबाइल नं० :-.....
9. स्थाई पता (आवासीय प्रमाण पत्र /Voter ID/Aadhar संलग्न करना आवश्यक) :-.....

- ग्राम :-..... पंचायत :-.....पो० :-..... प्रखण्ड :-.....जिला :- पूर्व सिंभूम
10. पशुपालन से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/अनुभव की विवरणी (यदि हो तो स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-.....
 11. वर्तमान में पशुपालन कार्य कर रहे हैं या नहीं (यदि हाँ, तो निम्न विवरण भरे) :-.....
पशुपालन का प्रकार :-..... वर्तमान में उपलब्ध पशु पक्षी की संख्या :-.....
(बकरी पालन/सूकर पालन/कुक्कुट पालन/बत्तख पालन)
 12. यदि किसी स्वयं सहायता समूह/महिला मंडल/कृषक समूह से सम्बन्ध है, तो उसका विवरण :-.....
 13. असहाय विधवा औरत/दिव्यांग/निःसंतान दम्पति (जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो) है अथवा नहीं :-.....
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
 14. अनुदान राशि प्राप्ति हेतु बैंक खाता का विवरण (अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में) :-
(क) बैंक का नाम :-..... (ख) शाखा :-.....
(ग) खाता संख्या :-..... (IFSC Code) :-.....

-: घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है की मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी सूचनायें सत्य हैं, अगर जांचोपरान्त गलत पाया गया तो आवेदन स्वतः रद्द कर दी जाय में आवेदित योजना से भली भाँती अवगत हूँ एवं इसके लिये निर्धारित शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूँगा/करूँगी मुझे पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार से पशुपालन विभाग एवं अन्य विभाग से पशुधन सम्बन्धी कोई भी योजना प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक इस ग्राम के स्थानीय निवासी हैं एवं ये सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु०जा०/अनु०ज०जा० से आते हैं।

ग्राम सभा की अनुशंसा

ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति का हस्ताक्षर

प्रखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा

प्रखण्ड स्तरीय समिति का हस्ताक्षर

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंभूम, जमशेदपुर।